

[Shri Ranga]

liary. It is not so. So far as our own Parliament is concerned we have developed our own traditions.

Mr. Speaker: Yes, yes.

Shri Hari Vishnu Kamath: Sir, let me have half a minute.

Mr. Speaker: There ought to be some limit. I have allowed him enough time.

Shri Hari Vishnu Kamath: If you are good enough to permit me, I will take only quarter of a minute.

Mr. Speaker: If I can call myself "good enough", he should also be good enough.

Shri Hari Vishnu Kamath: The Minister made a statement in answer to my points, and so I want to seek one clarification. He said that the duration of the session depends on the business of the House. You agree, Sir, that since 1950-51 the business has increased, proliferated and ramified considerably. In spite of that.....

13 hrs.

Mr. Speaker: It cannot be taken up in the open House. We will consider it when we sit down separately.

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछड़ा वर्ग के आयुक्त की जो रिपोर्ट है, उसके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है। उस पर कब बहस हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : जो वक्त है, उस में जो चीजें आ सकती हैं, उनको बताना दिया गया है। बाकी जो मैम्बर साहब शिकायत कर रहे हैं, उन के लिये डिसकशन नहीं हो सकेगा।

श्री मौर्य : कोई एश्योरेस तो उनकी तरफ से आ जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो उनको कहनी है कि अगली बार जब मिलेंगे तो उसको

जरूर डिसकस करेंगे। आप बैठ जायें, यह बात मिनिस्टर साहब के कानों की है।

Shri Satya Narayan Sinha: Regarding the Defence of India Rules, I am told that a resolution by a private Member is being discussed in this House. So, the matter is before the House in that way.

Some hon. Members rose—

Mr. Speaker: Order, order. I cannot continue this discussion indefinitely. There must be some end to it. We will now take up the next item of business.

13.01 hrs.

DRUGS AND COSMETICS (AMENDMENT) BILL—Contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the motion moved by Dr. Susha Nayar to refer the Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill to a Joint Committee. The time allotted is 3 hours, out of which 55 minutes have already been taken. 2 hours and 5 minutes remain.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल को मैंने बड़े गौर से पढ़ा इसके लिये मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्र को महोदय को बधाई देता हूँ। इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिल पांच साल पहले आना चाहा था। जो देर हुई है, उससे देश को नुकसान ही हुआ है।

साथ ही मैं यः सुझाव भी देना चाहता हूँ कि इस बिल को होम्योपैथी के ऊपर भी लागू किया जाये। मेरी समझ में नहीं आता है कि आयुर्वेदी और एलोपैथी को आप इस में रखते हैं तो क्यों नहीं होम्योपैथी को भी रखते हैं, क्यों उसको अलग आप रखते हैं। उसके ऊपर भी यह बिल लागू होना चाहिये।

होम्योपैथी कोई मामूली चीज नहीं है। हिन्दुस्तान में लाखों आदमियों से होमियोपैथी का ताल्लुक है। मैं चाहता हूँ कि इस बिल में यह बात जरूर बढ़ाई जाय और होम्योपैथी के ऊपर भी इसको एप्लाइ किया जाये।

इस बिल का मैं स्वागत करता हूँ और इसके लिये मंत्राणी महोदया को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। लेकिन सब से बड़ी दिक्कत यह है कि जो डायरेक्टर होगा उसको तो सजा दी जा सकेगी एडल्ट्रेशन अगर होता है तब, कहीं किसी तरह की खराबी होती है तब, लेकिन आप इस बात को भूल गए हैं कि पब्लिक सैक्टर की इंचार्ज गवर्नमेंट है, सरकार है। पब्लिक सैक्टर मंत्री साहिबान के मातहत चलता है। कहीं भी अगर इस सैक्टर में खराबी आएगी, एडल्ट्रेशन होगा, तो मेरा सुझाव है कि उसकी सजा मिनिस्टर को मिलनी चाहिये, न कि डायरेक्टर को।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस माननीय हाउस में बार बार आगवासन दिया गया है कि सेंट्रल इंस्पेक्टर्ज नियुक्त किये जायेंगे। लेकिन सेंट्रल इंस्पेक्टर्ज के लिये आज तक कोई स्कीम सरकार ने लागू नहीं की है। सेंट्रल इंस्पेक्टर्ज नियुक्त करने के लिये फौरी कदम उठाये जायें।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक दवाओं में जो ब्राह्मों की जगह मंडूकपर्णी लगता है और गोघृत की जगह डालडा और कोटोजम लगता है, इसकी रोक की जानी चाहिये। यह काम सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। चन्द गरीब वैद्य लोग ब्राह्मों और गोघृत का इंतजाम नहीं कर सकते हैं। जब तक गोघृत का इंतजाम नहीं होगा, जब तक गोघृत सरकार सप्लाई नहीं करेगी तब तक आयुर्वेद की कोई औषधि ठीक तरह से तैयार नहीं हो सकती है। आयुर्वेद में जहाँ जहाँ पर घी का जिक्र आता है तो उसका मतलब गाय के घी से होता है न कि भैंस के घी से और न भैंस उस वक्त कभी घी के या दूध के

काम में लाई जाती थी जब आयुर्वेद का निर्माण हुआ था। आयुर्वेद के निर्माण के लाखों साल बाद भैंस का दूध और घी इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इस लिये यह काम सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। जहाँ जहाँ भी आयुर्वेद की दवायें तैयार होती हैं, वहाँ वहाँ गाय का घी यह सरकार सप्लाई करे।

यह बिल बहुत अच्छा है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन सरकार जब खुद मुनाफाखोरी कर रही है तो वह दूसरों से कैसे या उम्मीद कर सकती है कि वे मुनाफाखोरी न करें। पैनिस्लीन का एक इंजेक्शन सरकार ढाई आने में तैयार करती है और पब्लिक को चौदह आने में बेचती है। जब इतना भारी मुनाफा सरकार खुद कमा रही है तो प्राइवेट बिजिनेसमैन को किस तरह से रोक सकती है कि वे लोग मुनाफाखोरी से बाज आयें। सरकार जिन दवाओं को तैयार करती है उन सब दवाओं की कीमत को कम किया जाय। अगर सरकार दवाओं की कीमतों को कम नहीं करेगी तो प्राइवेट बिजिनेस वाले दवाओं को और बीस गुना दामों पर बेचेंगे।

अब मैं सोने के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सोने की इज्जत क्यों दुनिया में है, इसको आप देखें। सोना न तलवार गढ़ सकता है, न सोना लोहे का काम कर सकता है, न इसके मकानात बन सकते हैं, तो फिर क्या वज्र है कि सोने का इतनी इज्जत दुनिया में है। यह इसलिये है कि लाखों साल बाद भी सोने की कांति ज्यों की त्यों बनी रहती है, सदियों के बाद भी सोने की कीमत में या उसकी कांति में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आता। कम से कम आयुर्वेद की दवायें तैयार करने के लिये सोने की जो जरूरत पड़ती है, उसका इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह सोना स लाई करे। जो चौदह कैंट का गोल्ड का नारा लग रहा है, इससे हमारी सोसाइटी आर्टिफिशियल

[श्री यशपाल सिंह]

होती जा रही है, सोसाइटी की जो दिग्गता थी वह नष्ट होती जा रही है। यह काम सरकार के करने का है। सरकार इस काम को अपने हाथ में ले और सोने की जितनी जरूरत आयुर्वेद और यूनानी के लिये पड़ती है उसको सरकार सप्लाई करे। मैं नहीं चाहता हूँ कि वैद्यों और यूनानी वालों को मजबूर किया जाये कि वे सोना कहीं से भी लायें।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो छोटे वृद्ध लोग हैं और जो घर के इस्तेमाल के लिये ब्रह्मघृण इत्यादि बनाते हैं, उन सभी को इस बिल की धाराओं से मुस्तस्ता किया जाये, जो उनकी दवायें बेचने के काम नहीं आती हैं, जो खुद अपने इस्तेमाल के लिये इन्हें तैयार करते हैं, उनको इस बिल से अलग किया जाय।

गुरुकुल कांगड़ी जैसी संस्थाओं ने हमारे देश में बहुत नाम पाया है और वहाँ पर आयुर्वेद की विशुद्ध ओषधियाँ तैयार होती हैं। सारे संसार के अन्दर इस संस्था ने प्रथम स्थान पाया है। उसको सरकार की तरफ से एड मिलनी चाहिये और इस बिल में इसके वास्ते अलग एक क्लॉज होनी चाहिये। गुरुकुल कांगड़ी ने प्योरिटी के लिहाज से नाम पाया है, उसने एक रटैंडर्ड कायम किया है, इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि उस संस्था को फाइनेंशल एड देने के लिये सरकार इस में कोई प्राविजन रखे। अगर इस संस्था को अलग कर दिया जाता है तो आयुर्वेद की दवाओं का कोई स्थान रह जाता हो, ऐसा मालूम नहीं होता है। कहां शुद्ध आयुर्वेद की दवायें बन सकेंगी, इसका पता नहीं चलता है।

प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर की बात कही जाती है। मैं साफ अर्ज करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का मसला ऐसा नहीं है कि जिसे किसी विवाद में उलझाया जाये, जिस का ताल्लुक पूंजीवाद या समाजवाद से हो। वह मनुष्य के लिये

और प्राणी मात्र के लिये है। इस लिये मेरा कहना यह है कि यह काम पेशेवर लोगों के हाथ में न दिया जाये, उनके हाथ में न दिया जाये जो रुपया कमाना चाहते हैं। मुश्रुत में लिखा है कि जो आदमी हाथे की खातिर किसी रोगी का इलाज करता है, चिकित्सा करता है, वह सोने के डेर को लात मार कर धूल को अपनाता है, मिट्टी को अपनाता है। इस लिये यह काम उनको सौंपा जाये जिनका आयुर्वेद में अनुभव है। देश में जो ऊंचे से ऊंचे विद्वान लोग हैं, उनको बुलाया जाए, गुरुकुल कांगड़ी से बुलाया जाए, ढाका से बुलाया जाये, सारे हिन्दुस्तान से बुलाया जाए और उनकी कमेटी कायम की जाये और सरकारी जो काम हैं, वे उनको सौंपे जाये। ब्राह्मणों की जगह जो मंडूकपर्णी आ रही है, अर्जुन के नाम पर दूसरी चीजों की छान आ रही है, घृत के नाम पर कोटोजम और डालडा आ रहा है, इसको कानूनन रोका जाये।

मैं मंत्राणी महोदया को मुबारिकवाइ पेश करता हूँ और उन से प्रार्थना करता हूँ कि गांधी जी की शिक्षा दीक्षा के बाद एनो-पैथी का मो व छोड़ दें और आयुर्वेद से प्रेम करना शुरू कर दें।

श्री अचल सिंह (आगरा) : स्वास्थ्य मंत्राणी जी, मैं इस बिल का . . .

अध्यक्ष महोदय : मंत्राणी जी से आप की बात होने लगी या रुझो ही मंत्राणी बना दिया है ?

श्री अचल सिंह : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो य. बिल पेश किया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। आजकल हमारे देश में एडल्ट्रेशन बहुत चल रहा है। हर चीज में मिलावट होती है, फिर चाहे वह खाने की चीज हो या दवा हो या कोई और चीज हो, असली चीज का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या घी, क्या तेल, क्या दूध, और एक चीज में मिलावट होती है।

अध्यक्ष महोदय : आप आगे आ जायें, सुनाई नहीं देता है लिखने वालों को ।

श्री अखिल सि. : मैं बिल का समर्थन इसलिये कर रहा हूँ कि इस बिल की बड़ी जरूरत है क्योंकि हमारे देश में, जब से हम आजाद हुए हैं, ख्याल यह था कि हमारे यहां राम राज्य होगा और हर बात में सुधार होगा । लेकिन हम देखते हैं कि जब से हम आजाद हुए हैं हमारे मारल्स, हमारा चरित्र, बहुत गिर गया है और खास तौर से लोग अपना निजी फायदा उठाने के ख्याल से एडल्टरेशन अर्थात् मिलावट बहुत करते हैं । चाहे वह खाने की चीज हो, चाहे पीनेकी चीज हो, चाहे दवा हो या कोई भी दूसरी चीज हो, हर काम में वह अपनी हानिधारा दिखलाते हैं और जनता को धोखा देना चाहते हैं तथा ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं ।

अभी जो कानून बनाया गया है उस में जो लोग दूध में पानी मिलाते हैं या मक्खन निकालने में मिलावट करते हैं उन के लिये सजा भी है और जुर्माना भी है, तब भी यह चीज रुकी नहीं है । मिसाल के तौर पर मैं बतलाऊँ, आगरे में जो दूधिये लोग होते हैं उन पर १००, १०० रु०, २००, २०० और ५००, ५०० रु० जुर्माना होता है, साल दो साल की कैद भी होती है तब भी वे लोग दूध और मक्खन में मिलावट करने से नहीं चूकते हैं । इसी तरह से हम देखते हैं कि दवाओं में होता है । दवायें ज्यादातर नकली बिकती हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो । इस से बहुत बुरा असर मरीजों पर पड़ता है क्योंकि जब दवायें अच्छी तरह नहीं बनेंगी तो उस का असर कैसे हो सकता है ? वह कोई असर नहीं करेगी और मरीज रोग का शिकार बना रहेगा ।

इसलिये जो बिल मंत्राणी जी ने रक्खा है हालांकि उस में सजा भी रक्खी गई है लेकिन सजा के साथ साथ मैं चाहूँगा कि उसका काफी प्रचार

होना चाहिये । जैसा मैं ने आप से पहले कहा, लोगों के मारल्स बहुत गिर गये हैं इसलिये जब तक जनता यह नहीं समझेगी कि लोगों को हम को ऊपर उठाना है और हमें ऐसे काम नहीं करने चाहियें जिन से कि हम दूसरों को मूसीबत में डालें तब तक कभी हम को सफलता नहीं मिल सकती । मंत्राणी जी से मेरा निवेदन है कि इस में कानूनी तरीके से तो बढ़ा ही जाय लेकिन साथ साथ इस की पब्लिसिटी भी इनकी की जाय स्कूलों और कालेजों, आम जनता में और खास तौर से व्यापारियों में कि वह इस बात को महसूस करें कि उन्हें गलत काम नहीं करना चाहिये । खास तौर से ऐसे समय में जब कि हमारा देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी चीजों को देश में होने न दें । अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुझ डर है कि हम अपने को तो खतरे में डालेंगे ही, अपने देश की आजादी को भी खतरे में डालेंगे । ऐसे काम रोक कर के हम अपने देश को बचा सकते हैं । हम देखते हैं कि इंग्लैंड और अमरीका में लोगों ने काफी मारल्स अपने बना रक्खे हैं और वे लोग जिस तरह की चीज बतलाते हैं उसी तरह की चीज देते भी हैं । लेकिन हमारे यहां कहते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं और करते कुछ हैं । इस बात के लिये कानून बन रहा है लेकिन मैं इस बात पर जोर दूँगा कि इस का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाय ताकि हम अपने कर्तव्य को समझें और कानून का पालन करें ।

Dr. U. Misra (Jamshedpur): Sir, while welcoming this amending Bill which will be in the interest of the people in general, I have to make certain submissions. I cannot understand how far control over indigenous drugs, that is, Ayurvedic and Unani drugs, which the amending Bill wants, will be effective. As far as I know, since 1930 or 1933 work has been going on for the standardisation of indigenous drugs. It was first started in the Calcutta School of Tropical Medicine by an eminent scientist, Sir R. N. Chopra—fortunately, I had the

[Dr. U. Misra]

chance of working there—but till now the progress of standardisation of drugs is same as it was in those days.

Now sentiment is aroused that Ayurvedic and Unani systems because of being very old, should be effective. It is a fact that many very old indigenous drugs, even those indigenous herbs which have not been included in any system, are effective; but for the purpose of legislation and for making it effective, some sort of standardisation is necessary. The idea that because it is old it will be good is erroneous. Then, in that case even the talisman or the *tabij* will be more effective because it is older than these systems, Unani or Ayurvedic. So, any old or popular thing which is being used in many places needs standardisation.

I know, in some parts of India bird's stool is used for treatment of certain diseases, for certain type of bacillary dysenteries. But from that experience Bactrophages were invented and they were used for a long time. So, certain amount of standardisation and scientific methods should be applied in order to revive the old system.

According to this amendment adulteration of drugs is punishable. What is happening even in the case of companies which are making recognised allopathic medicines? The poor pharmacy owner is being punished. The manufacturer who is responsible for adulteration who is responsible for scot free as soon as he could dump the product in a pharmacy. When the law is applied the poor pharmacy man who does not know what it contains, because he has only known the manufacturer's name and label, is being prosecuted. Even in the case of oil or other things also that happens. Some sort of a safeguard should be made whereby the manufacturers or the real source of adulteration should be punishable and not the lower people who sell.

Another point I want to make is this. Even now we have got indiscriminate use of drugs which have even been standardised. Everybody knows how the antibiotics are being indiscriminately used and how a lot of harm is done to the people instead of saving lives. These drugs were invented for saving life, but anybody and everybody can apply an antibiotic drug in this country. There is no control over it. I cannot understand how this can be controlled. On the other hand, the life-saving drugs are not available even to the doctors. Recently, I had been to my constituency. I saw a case of coronary thrombosis. I could not find an ampule of pethidine throughout the whole town of Jamshedpur which is inhabited by 3½ lakhs people and which is one of the industrial towns. I asked the pharmacy men the reason for it and they said, "We cannot submit to the whims of the Excise Department. The Excise Department people come to check our excisable drugs and take away one or two glucose tins and other things. We make a slight profit on these life-saving drugs, but we lose so many other things." Then, I wrote to the Civil Surgeon and to many other officials. I could not get any relief. I had to run to Calcutta and there also I found that one of the prominent pharmacy-owners asked me for some patients' names. How can you give names of patients before those patients come to you? There is no provision for doctors being provided with them for their personal use. Then, the doctor will have to go to the powerful Excise Department. This is the position of life saving drugs being non-available. On the other hand, the life-saving drugs are being indiscriminately used so that the whole nation, the future generation, will become absolutely drug fast. There is no check over that.

Another point that I want to make out is this. The unani and kaviraj medicines do actually serve the people

in the villages where the local village *vaid* prepares medicines in his own way. Now, what is intended in this amending Bill is to have sanitary conditions, ensure the use of certain substances like gold or silver in certain drugs, and not the use of substitutes. But there are certain substitutes. Take, for example, gold. The substitute has been found out in order to make preparations like *makaradh-waj* and others. Why should it be banned? It should not be banned. The only thing is that control should be there. They should see whether it is a right substitute.

I am glad that this amending Bill is going to the Joint Committee and I hope the Joint Committee will take the opinion of various doctors, not only eminent people, in various places and then make a comprehensive report to this House.

Shri Himatsingka (Godda): Mr. Speaker, Sir, I welcome this Bill so far as it goes, as it purports to tighten the law and prevent adulteration of medicines and drugs and the improvements that have been suggested will go a long way in preventing unscrupulous persons from making profit from the sale of medicines which are decomposed, petrified or otherwise insanitary. I feel that this itself will not be sufficient. The medicine may be quite good, but if it is applied by wrong persons or if it is applied in a wrong manner, it does produce very injurious effect. As was just now mentioned by an hon. Member who preceded me, an indiscriminate use is made of various strong medicines and antibiotics and 'mycine' type or group of medicines and they do produce a lot of injurious effect on persons on whom they are applied. Therefore, I feel that before the action that is proposed to be taken by the amendment of the Drugs and Cosmetics Act, we must educate the people regarding the proper use of food and other measures which will keep a man healthy. As a matter of fact, you

know, Sir, some time back, before the allopathic medicine was so much in vogue, what used to be done in the country was that for the first two or three days no medicine used to be applied or given and in that manner I should think that at least 80 to 85 per cent of the cases got cured. The moment you take medicine, it merely complicates the trouble. What happens is that nature is always trying to cure the sick persons and what the person needs to do is to help nature to eliminate the foreign matter that has come into his person, into his body. What the medicine does is it removes the symptoms, but it does not really effect any cure. What is necessary is, medicines should be such, or rather such steps should be taken that we help nature in eliminating the foreign matter which is the cause of the disease in the person. In that respect also, some steps are being taken by the Government to familiarise and to popularise the naturopathy treatment. A college is going to be opened in Calcutta with the help of the Government and I feel that steps should be taken to encourage that line of treatment which will be cheaper and more beneficial and which can be introduced in the villages without much expense and with very great benefit to the persons concerned.

13.27 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

I feel that immediate action should be taken to give proper education in this regard so that the boys in schools, the children in schools, from the very beginning may be given certain education about health measures which will give them information as to how to behave, what to take, when to take and how much to take and so on. That will obviate the necessity of too much medicine being required at any time. Therefore, proper emphasis should be laid on health measures from the very start of education and I feel that that will also

[Shri Himatsingka]

save the country from too much use of medicine and also keep our children and our people more healthy and cheerful. I feel that along with the tightening of the law, so far as having proper medicines and stopping adulteration of these things are concerned, proper steps should be taken to educate the people and to have proper literature and books written on health so that we might know how to behave ourselves, how to eat, what to eat and what not to eat and so on. Most of the diseases start on account of our ignorance about food and the quantity that we should take. I feel that those steps should be taken so that people are fully educated on these health measures.

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): Mr. Deputy-Speaker, Sir, while supporting this Bill that has been moved by the hon. Minister, I want to make a few observations according to which I feel that there are certain aspects of the matter which are lacking and also that the coordination between the two departments, in particular the department of Health and the department of Scientific Research which should have been there, is also lacking in certain respects.

I would submit that the scope of this Bill will be that it will cover medicines being prepared from the Allopathic system, the Ayurvedic system, the Unani system and possibly also the Homoeopathic system. There are three stages which need to be examined and gone into. Firstly, it is the manufacture of drugs; secondly, research upon drugs and, thirdly, its distribution and its finding a place in the form of pharmacopoeia.

As far as availability of drugs in our Country is concerned, there are hundreds and thousands of drugs available. I have a little experience of my State because it was the State of Jammu and Kashmir that first started a drug research institute as far back

as 1939 and since then it has been working, the research section apart and the manufacturing section apart. As far as research section is concerned, that was transferred to the Central Government in 1956 or 1957. But as far as the manufacturing section is concerned—allopathic drugs, ayurvedic drugs and unani drugs—all that is being run under the Jammu and Kashmir State. At the time of handing over the research section to the Central Government, we had prepared a herbarium wherein nearly about four thousand crude drugs and herbs were listed. Out of that about three hundred to four hundred drugs were examined and researched upon, and had then listed the active principles which were found in them.

So far as the manufacturing section is concerned, we tried to do what little we could do there, but we could not make much headway, for the simple reason that there is so much of adulteration in the field and all sorts of drugs which are not genuine are being sold. There are other things also that make it impossible, or if not impossible, almost next to impossible, for the genuine drug manufacturing firms to sell their drugs in the manner that they ought to or in the manner that they would like to.

For instance, we grow in our State a number of crude drugs and herbs, and we sell those very drugs and herbs to the people outside our State. I cannot remember the names of all those drugs, but I can cite the case of one particular drug, namely *patis*. It is sold at about Rs. 25 to 30 per pound in our State in a crude form. But when the Department of Health from our State would call for tenders, the medicine prepared out of that would be delivered at the rate of Rs. 10 to 12 per pound. One feels wonderstruck that what happens, because the drug that we prepare out of it in the very factory which belongs to that State would cost much

more; and the Department of Health would never care to purchase the medicine from that factory. Incidentally, once it happened that I had to deal with the Department dealing with the purchase of drugs and medicines in that State, and it was with great persuasion that the doctor gentlemen who were in charge of that Department could be made to show some little patronage to that factory. But, ultimately, the result was that it could not work and it is not working even today. So, we find that even though there are genuine drug-manufacturing firms all over the country, manufacturing all sorts of drugs, they have very little encouragement and they get very little patronage, for the reason that there is no check even with regard to the Government purchasing departments. I can quote, for instance, the Central Drug Stores at Calcutta. In my State, we are preparing certain drugs both for application and consumption within the State and also outside the State. Take, for instance, the case of belladonna. It is almost a monopoly of the Jammu and Kashmir State, as far as our country is concerned. We sell that belladonna in extract or other such preparations to firms and other institutions in the rest of the country. But when the Health Department of that very State or the Central Drug Stores asks for tenders, then those very persons who had purchased it at a particular rate from the Jammu and Kashmir Government drug factory would quote a rate which would be much less than what they had paid for it when they had purchased it. I can quote instances where this kind of all thing has happened, not once but dozens of times. The result is that only those manufacturers who do not manufacture genuine drugs but who adulterate drugs get all sorts of encouragement both from Government and also from the trade and the people. From that point of view, it is very important that this Bill has been introduced.

In this connection, there is one very important point which has to be borne in mind, and that is, that the

Ministry of Health should remain in touch with the Ministry of Scientific Research and know from time to time the findings of their research up to date with regard to drug research which is being carried on in the different drug research centres all over the country. As I have said already, it was perhaps in 1956 or 1957 that we handed over our Drug Research unit to the Central Government, and since then they have done a lot of work, in fact, much more work than they had done till then. But I find that there has been no proper co-ordination, and no direct results have come out of it as far as the utilisation of the results of that research elsewhere in the country is concerned.

When I studied this Bill, I found that in regard to the standard of the drugs that have to be utilised in future, it has been provided that the drugs have to be up to the standard of the London Pharmacopoeia. I personally feel that something on the lines of what has been done in the matter of industrial goods for our international trade, has got to be done in the case of drugs also. It may not be exactly in the same manner, as far as this Act is concerned, but I feel that some such thing is necessary. There should be some quality testing at our standard institutes. Unless we institute quality tests and set up quality testing centres or standard testing centres in almost all the manufacturing centres I personally feel that the Act may not serve its purpose.

I would also submit that we have to maintain our own standards with regard to the drugs and medicines that we manufacture in our own country. We have to lay down some standards in regard to those drugs and have our own pharmacopoeia for that purpose. Only yesterday, I had tabled a question with regard to certain recommendations of the Tibbia Conference which was held only last June in Simla. I am very happy that a detailed reply has been given by the Minister of Health. I find that even the Tibbia experts demand that they also should

[Shri Sham Lal Saraf]

be permitted to have a pharmacopoeia of their own.

Therefore, the time has come when our Ministry of Health should have a standard pharmacopoeia prepared for allopathic drugs, of course, but also for the other indigenous drugs that we are manufacturing within our country. If it is said that in regard to allopathic drugs, there is an insistence that we should agree to the London Pharmacopoeia or other such pharmacopoeias, then I have no objection; I have no objection if we have to repeat those things in our pharmacopoeia. But, at the same time, there are certain other drugs that we are manufacturing within the country, from the allopathic point of view; therefore, the time has come to consider now whether our old pharmacopoeia should not undergo some change. I am a layman, but our doctor Minister is there in charge of Health, and I have very great respect for her. But I would request her to consider whether the pharmacopoeia that we should have in our country should be just an exact copy of the English pharmacopoeia or whether it needs some change to fit in with our own conditions.

There is also one other thing that I have to observe in this connection. Nowadays, our doctors, whether they are small or whether they are high-ups, wherever they may be, I am speaking of allopathic doctors—prescribe very costly medicines. How can that fit in with the general pattern of the country, of a poor country like India. Therefore, that also needs to be gone into.

So, we have also to set up a pharmacopoeia for our own Ayurvedic and Unani medicines. It is all right if we pass a law, and we set up standard institutes, and we set up also quality testing centres. But the important question is one of inspection, and of having a proper inspectorate. I would submit that the job of inspec-

tion is not an ordinary job. There are many inspectors at present in the country for inspecting the manufactured products of the various industries, but then their work is limited as compared to the work that is going to be undertaken by the inspectors under this Act. I would submit that great care has to be taken about how this organisation will be set up, how small the jurisdiction of the organisation should be and so on, so that the desired object may be achieved.

I would also submit that the Ministry of Health at the Centre, along with the Health Department in the States should also see that the present system of purchase and supplying of medicines should be looked into thoroughly. Firstly, I would submit that this question of buying the medicine from the source which gives the cheapest quotation has been creating havoc both with our Departments of Health, and, of course, with our patients who are treated in the Government hospitals. Some new arrangement should be introduced in this behalf.

Then, with regard to purchase of drugs, certain facilities have to be created so that the purchase can be made at the main centres where the drug factories are located and where the drugs are manufactured. Otherwise, if there are only one or two purchase centres for the entire country, then the suppliers have to go there and supply the drugs. If the purchase centres are located at the places where the drugs are actually manufactured, then there can be very strict checking, and very strict testing also could be resorted to. If that is done, then we can achieve great results thereby.

Another thing is about cosmetics. It may not apply exactly to that, but I feel there is scope for this kind of thing there also. There is so much adulteration going on in that that one is actually wonderstruck as to how

things are going on in the way they are.

To sum up, for manufacture of standard drugs a] sorts of facilities have to be provided. Secondly, there should be proper research and co-ordination of that research with actual work in the field. Then there is the question of testing, standardisation, organisational arrangements like a proper inspectorate etc. With these things, I think our purpose can be served.

There are a number of other things which are related to this subject and with the little time at my disposal, I cannot elaborate on them. If one could get opportunities to work on certain committees dealing with such matters, one could certainly make one's contribution. Without meaning any pecuniary consideration, I would like to say that for the last 1½ years I have not got an opportunity to serve on any of the committees and contribute my share. In committees like the Estimates Committee and Public Accounts Committee, there may be certain pecuniary considerations. But as regards other committees, we could certainly contribute if some opportunity is given to such people. I would make an appeal to you and to the Speaker in this connection and request that you see that such people are taken into confidence and afforded an opportunity to serve on such committees. With these few observations, I support the Bill.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझ खूबी है कि वहुन दिनों के बाद कम से कम आज एक एना विधेयक इस सदन के सामने आया है, जिस के पास होने के बाद, इस देश में दवाइयों में मिलावट करने की जो भावना बढ़ गई है, वह शायद कुछ कम हो ।

एक माननीय सदस्य : इस गवर्नमेंट के रहते हुए तो वह कम नहीं होगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : इस बारे में इस सदन में एक बहस भी हुई थी और उस बहस के दौरान में माननीय सदस्यों ने इस सदन के सामने कुछ ऐसी मिसालें पेश की थीं, जिन से साफ़ जाहिर होता है कि आज भी देश में कुछ ऐसे समाज विरोधी तत्व हैं, जिन को इन्सानों की जिन्दगी के साथ खेलने में भी लज्जा नहीं आती ।

दवाओं में मिलावट के बारे में काफ़ी बातें इस सदन में कही गई हैं । मैं समझता हूँ कि आज मौका आ गया है कि सब दवाओं के कारखानों का, ड्रग इंडस्ट्री का, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये । जब तक यह सरकार ड्रग इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी, तब तक इस प्रकार के कानूनों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, इंस्पेक्टर साहब की जेब भले ही गर्म हो जाये । मुझे इंस्पेक्टरों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि भ्रष्टाचार को बन्द करने के लिए जितने अधिक विधेयक पास होते हैं, भ्रष्टाचार उतना ही द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ता जाता है ।

दवाओं में मिलावट के लिए पांच साल की सजा के बजाये दस साल की जो व्यवस्था इस बिल के द्वारा की जा रही है, वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि लोग इस बारे में इतने नाराज़ हैं कि वे चाहते हैं—जैसा कि माननीय सदस्य, श्री कक्कड़, ने कहा है—कि मिलावट करने वालों को चौराहें पर खड़ा कर के चायुक से मारना चाहिए, उन को फ़लांगिंग करना चाहिए । माननीय सदस्य, श्री कामत भी हमेशा यह सजेस्ट करत रहते हैं लेकिन आज यह बात मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम सामन्तवादी युग में वापस नहीं जाना चाहते । इस स्थिति में यह जरूरी है कि मिलावट को रोकने के लिए ड्रग इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये ।

हम जानते हैं कि इस सदन के एक माननीय सदस्य, श्री त्रिपाठी, की मौत के बाद एक जांच कमेटी बैठाई गई । शायद पैन्सिलिन की

[श्री स० मो० बनर्जी]

वायल में मक्खी या कोई और मरी हुई चीज निकली। उस के बारे में भी जांच हुई। उस के बारे में यह साबित करने की कोशिश की गई कि एसी कोई बात नहीं हुई। मैं पेन्सिलिन फ्रैक्टरी, पिम्परी, को देख चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि उस में काफी इन्तज़ाम हो रहा है—मैं यह नहीं कहता कि नहीं हो रहा है—, लेकिन फिर भी हम लोगों को देखना है कि एन्टी-बायोटिक ड्रग्स के सम्बन्ध में जो कि लाइफ-सेविंग ड्रग्स हैं, न तो मुनाफा-खोरी की भावना ही आये और न ही उन की क्वालिटी इस तरह गिर जाये कि उन को इस्तेमाल करने से लोग मौत के मुँह में चले जायें।

उस समय मुझे बताया गया था कि कुछ लोगों में पेन्सिलिन के लिए इस प्रकार की एलर्जी होती है कि उस के इस्तेमाल से वे फायदा उठाने के बजाये मौत के घाट उतर जाते हैं। इस के लिए एक दवा, एन्टी-पैन, ईजाद की गई थी, जिस को देने से यह मालूम हो जाता है कि कोई व्यक्ति पेन्सिलिन के प्रति एलर्जिक है या नहीं और यदि वह एलर्जिक हो, तो फिर उस को पेन्सिलिन नहीं दी जायगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिम्परी के पेन्सिलिन कारखाने में जो एन्टी-पैन की दवा बनाई गई थी, वह मार्केट में आई है या नहीं।

दवाओं के बारे में दो समस्याएँ हैं : एक तो मिलावट और दूसरी उन के दाम। मेरे माननीय मित्र, डा० लोहिया ने इस सदन में कहा था कि अगर पेन्सिलिन या स्ट्रैप्टोमाइसीन का कास्ट आरू प्राइकशन तीन आने है, तो वह ज्यादा से ज्यादा पांच या छः आने में बिके। लेकिन आज हो क्या रहा है? देहात में हर एक कम्पाउंडर—और जो कम्पाउंडर नहीं भी है, वह भी—डाक्टर बना बैठा है और वह एक बात जानता है कि हर एक मर्ज़ की दवा पेन्सिलिन है। वह पेन्सिलिन बेतहाशा इस्तेमाल कर रहा है और एक एक पेन्सिलिन इन्जेक्शन का दो या

तीन रुपया तक ले रहा है। इन के अलावा मान लीजिये कि एपिडैमिक फार्म में कोई बीमारी हुई जिस में एन्टी-बायोटिक ड्रग्स देनी पड़ती हैं, तो फ़ोरन मार्केट में उन के दाम बढ़ जाते हैं और इस बारे में कहा यह जाता है कि सप्लाई बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि सरकार कम से कम दवाओं के बारे में तो मुनाफाखोरी न करे। दवायें ऐसे दाम पर मिलनी चाहिए कि मामूली गरीब इन्सान भी उन को खरीद सकें। अगर आज मेरे पास पैसा है और मेरी तन्हाइ चार पांच सौ है, तो मैं तो उन दवाओं को हसिन कर सकता हूँ। लेकिन इस सदन में कहा गया है कि हिन्दुस्तान में २७ करोड़ आदिमियों की आमदनी साढ़े सात आने रोज़ है। इसलिये ऐसा इन्तज़ाम होना चाहिए कि साढ़े सात आने रोज़ पाने वाला मामूली आदमी भी इन दवाओं को खरीद सकें।

इसलिये मेरा कहना है कि इस देश में ड्रग इंडस्ट्री का सोशलाइज़ेशन या नेशनलाइज़ेशन जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो लोगों को सस्ती और क्वालिटी में अच्छी दवायें नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज दवाओं को किस तरीके से बेचा जा रहा है। आज बच्चों क दूध में भ मिलावट करने की कोशिश हो रही है, चाहे वह लैक्टोजन हो, हारलिक्स हो या आस्टरमिल्क हो, कोई भी चीज हो।

श्री श्यामलाज सराफ़ : अन्दर से मिलावट होती है।

श्री स० मो० बनर्जी : पिछली मर्तवा मैं ने इस सदन में कहा था कि कम से कम यह नियम बना दिया जाये कि इन दवाओं वगैरह के खाली डिब्बों और बोनलों को लेबन उतार कर बचा जाये और अगर कोई आदमी वगैरह लेवल उतारे उनको बेचे, तो उस को सज़ा होनी चाहिए। कलकत्ता में एक केस हुआ कि एक छोट बच्चे को ग्राइप वाटर दिया गया,

लेकिन वह ग्राइप वाटर था नहीं। उस में अफ्रीमा का सत मिला दिया गया था। नतीजा यह हुआ कि बच्चा सो तो गया, लेकिन फिर उस की नींद नहीं खुली—वह बच्चा जाना रहा। इस के बाद स्वर्गीय डा० बी० सी० राय ने सिनेमा में यह स्लाइड दिखाने की व्यवस्था की कि स्पूरियस या एडल्ट्रेटिड ड्रग्स न बेची जायें। लेकिन आज हालत क्या है ?

इस विल में एडल्ट्रेशन के खिलाफ कड़े से कड़े कदम और एक्शन लेने की बात कही गई है, लेकिन आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के बारे में यह कहा गया है :—

“The Udupa Committee's report discloses that costly raw-materials such as gold, musk, pearl, saffron, etc., which are component ingredients in the various Ayurvedic and Unani preparations, are either not used or substituted by imitation products.”

सोने का क्या सबस्टीट्यूट होगा। आज जो स्वर्णभस्म मरुध्वज में मिलाई जाती है उस की जगह पर अगर चौदह कैरट सोने को मरुध्वज में मिलाया जायेगा तो जो बचने वाला है वह चौदह दिन भी बच नहीं पाएगा। सोने वालों के बारे में यहां तक शिकायत कानों में आई है कि वे खुदकुशी करेंगे। अगर रोगी का पूरा विश्वास है यूनानी के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर लेकिन विश्वास नहीं है एलोपैथी के ऊपर या होम्योपैथी के ऊपर, तो अगर रोगी को मरुध्वज दिया जायेगा और वह भी चौदह कैरट का, तो मुझे मालूम नहीं कि उसकी जिन्दगी का क्या होगा। मैं समझता हूँ कि उस को आज प्रेस किया जा रहा है कि वह सबस्टीट्यूट इस्तेमाल करे। एक तरफ तो आप मिलावट के खिलाफ कानून पास करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ उसी कानून में यह कहने जा रहे हैं कि हाँ मिलावट करो। यह बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसी चीज नहीं

होनी चाहियें। अगर यह होता है तो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं हो सकता है।

मैं यह भी चाहता हूँ कि सरकार यूनानी इलाज और आयुर्वेदिक इलाज को काफी तरजोह दे। मुझे मालूम है कि हमदर्द दवाखाने ने काफी अच्छा काम किया है और आप से मदद लेने की काफी कोशिश की है और शायद आप की तरफ से कुछ मदद मिली भी है लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी इंस्टीट्यूशन को चलाया है और चला रहे हैं, उस से मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान में यूनानी इलाज को चार चांद लग गये हैं। उसी तरीके से ढाका शक्ति औषधालय या सावना औषधालय या गुरुकुल कांगड़ी में जो चीजें बनाई जा रही हैं, व बहुत ऊंचे दर्जे की हैं, उन को भी आप की तरफ से तरजीह दी जानी चाहिये।

सैनिटेशन के बारे में कहा गया है। बड़ी अच्छी बात है। यह भी कहा गया है कि जिस चीज में स्पूरियस ड्रग्स मिलता है उस कनवेंस को भी कन्फिस्केट कर लिया जायेगा। मैं इस को मानता हूँ। अगर कोई ठेले पर किसी चीज को बेचता है, तो ठला तो भले ही आप ले लें, लेकिन अगर कोई आदमी ट्रेन में बम्बई से कलकत्ता तक या बम्बई से दिल्ली तक बेचता चला गया तो क्या उस ट्रेन को भी कन्फिस्केट कर लिया जायेगा ? अजीब कानून है।

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): The hon. Member is mixing up. It is confiscation of the means of production of spurious drugs, net of the conveyance.

Shri S. M. Banerjee: What do you mean by transportation?? It is there आप को सब चीजों को देखना चाहिये।

हमें खुशी है कि कम से कम हेल्थ मिनिस्टर हमारे देश की बहुत अच्छी डाक्टर हैं। यह होना भी चाहिये। पहले देश में यह हुआ करता था कि सब से अच्छा जो डाक्टर है

[श्री स० मो० बनर्जी]

वह मुख्य मंत्री बन जाये, लेकिन जो हेल्थ के बारे में कुछ नहीं जानता वह हेल्थ मिनिस्टर बन जाये। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहां इस तरह की चीजें हुई हैं। बहुत कम हेल्थ मिनिस्टर हुए हैं, जो डाक्टर हों। आप देखें जोवराज जो मेहता चोफ मिनिस्टर हैं। डा० बी० सी० राय पश्चिमी बंगाल के चोफ मिनिस्टर थे। लेकिन यहां पर हेल्थ मिनिस्टर कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं किसी डाक्टर को हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाता। यह खुशो की बात है कि हमारे राजू साहब डाक्टर हैं और हमारी मुप्रिजिज बहन भी बहुत अच्छी डाक्टर हैं। आज हमारी तमाम जो इंटीग्रेटेड स्कीम ड्रग प्रोडक्शन के बारे में है और रूस से जो हमें इस के बारे में सहायता मिल रही है या मिलने वाली है, वह क्या है? हमें आश्वस्त किया जाये कि लोगों को दवायें सस्ती मिलेंगी और लोग बगैर दवाओं के मरेंगे नहीं। अगर यह चीज पांच दस सालों में भी हो जाती है तो बहुत बड़ा काम आप कर देंगे और जो राजनीति आपने गांधी जी के चरणों में बैठ कर सीखी है, वह सफल हो जायेगी।

श्री बालमीकी (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, भयज तथा शृंगार सामग्री संशोधन बिल का मैं स्वागत करता हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्राणी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम इसके द्वारा उन्होंने एक प्रगति-शाल कदम उठाया है जिससे लोगों को विश्वास हो सकता है कि उन को शुद्ध दवायें मिलने की उम्मीद करनी चाहिये।

हमारे देश में और हम लोगों में एक पुरानी कहावत है :

पहिला सुख, निरोगी काया
दूजा सुख, घर में हो माया
तीजा सुख, सुत आज्ञाकारी
चौथा सुख, घर में हो शुभ नारी।

इन चारों बातों को आप मनुष्य के आज के

जीवन पर उतार कर देखें। काया काया में रोग है और क्यों रोग है, क्योंकि शुद्ध भोजन नहीं मिलता है, स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, शुद्ध घृत नहीं मिलता है और शुद्ध वातावरण भी नहीं मिलता है। धन का अभाव है, इस प्रकार दरिद्रता और दारिद्र्य का चारों ओर जोर है। धनाभाव से मनुष्य का जीवन नित्य कटुता से भरपूर हो गया है। जहां तक आज्ञाकारी पुत्र का सम्बन्ध है, आज हम देखते हैं कि नवयुवकों में भी उच्छ्वलता है, निरंकुशता है, अनुशासनहीनता है। यद्यपि अनुशासनहीनता को दूर करने के बारे में सरकारी प्रयत्न चलते हैं, लेकिन उधर मैं विशय न जा कर इधर ही इशारा करना चाहता हूँ। महिलाओं में भी एक प्रकार से स्वच्छन्दता है। इस प्रकार से आप देखें तो मानव जीवन का दर्शन ही विगड़ रहा है और सारे दर्शन को मुधारने की जरूरत है। मुधार समाज में ही नहीं चाहिये, घरों के अन्दर भी मुधार चाहिये। हमें सारे जीवन में जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उन को उतारना है।

इस अवसर पर इन बातों में न जा कर मैं नकली दवाओं और नकली दवा फरोशों की बात कहना चाहता हूँ। इनका जोर बढ़ता ही जा रहा है। इस विधेयक का आना एक स्वागत योग्य बात है। एक बात की ओर इस सम्बन्ध में मैं देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे देश में उन में दुख और रोगों को सहने की शक्ति हो तो रोग भी दूर रह सकते हैं। दुख को आज कहीं भी सहने की शक्ति नहीं है, दुख और दर्द को परास्त करने की शक्ति नहीं है। यही कारण है कि ज़रा ज़रा सी बात पर लोग दवाओं का सहारा लेते हैं, दवाओं की ओर दौड़ते हैं। यह दवाईयां खाने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। जब तक इस प्रवृत्ति को आप नहीं रोकेंगे तब तक नकली दवाओं और नकली दवा फरोशों को आप नहीं रोक सकेंगे। दर्द को बर्दाश्त करना भी खुद एक दवा है।

इश्तरे क्रतरा है, दरिया में फना हो जाना ।
दर्द का हृद से गुजरना है, दवा हो जाना ॥

अगर हम उन दर्द और रोगों को परास्त करें, तो हमें दवाओं का बहुत कम सहारा लेना पड़ सकता है । स्वास्थ्य मंत्राणी जी स्वयं डाक्टर हैं और वह जानती हैं कि मनुष्य शरीर के अन्दर दवाओं के अलावा रोगों को मारने के शक्तिशाली कीड़े भी होते हैं और ऐसे कीड़े भी होते हैं, जो उन कीड़ों को मार देते हैं, जो बीमारी लाते हैं । ये उन कीड़ों का मुकाबला करते हैं और उन को फना भी कर सकते हैं । लेकिन इतना होने पर भी दवाओं की आवश्यकता निर्विवाद है । मैं चाहता हूँ कि अगर रोगों को सहने की शक्ति कम हो तो भी रोगी को कम से कम दवायें दी जायें । एक सब से बड़ा उदाहरण हमारे प्रधान मंत्री जी का हमारे सामने है । वह दवाओं का बहुत ही कम प्रयोग करते हैं । उनके उदाहरण से हम लोगों को फायदा उठाना चाहिये ।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : वह खाते क्या हैं ?

श्री बाल्मीकी : खाने की आप बात न करें, आप को भी खाना कम नहीं मिलता है ।

यह ठीक है कि आज मार्केट में, बाजार में, ग्रामों में नकली दवायें बचने वाले और उधर इलाज करने वाले नकली डाक्टर काफी संख्या में हैं । यह नीम हकीम खतरे जान वाली बात होती है । इस तरह के जो डाक्टर हैं, उन पर रोक लगनी चाहिये । इन लोगों को रोगियों की जिन्दगियों से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है । दिल्ली की एक घटना मैं आप को बताता हूँ । कोई नकली डाक्टर आंख वाला आ गया और बहुतों का आपरेशन कर गया । वह फीस भी अपनी ले गया और इलाज भी कर गया । किसी ने उस को पकड़ा तक नहीं ।

1204 (Ai) LSD—5.

इस तरह के बहुत से लोग घूमते फिरते हैं । दवाइयों का वाक्स ले कर वे लोगों का इलाज करते फिरते हैं । इन क्वैक्स के खिलाफ जोरदार तरीके से कार्रवाई करने की आवश्यकता है और उन को पकड़ने की आवश्यकता है । इस दिशा में कड़े कदम उठाये जाने चाहियें । जो इस तरह की नकली दवाइयाँ तैयार करते हैं या जो इस तरह के क्वैक्स हैं, वे इसलिए पकड़ में नहीं आते हैं कि जो आप का सुपरवाइजरी स्टाफ है, जो इंस्पेक्टर्स हैं वे अभी उधर ध्यान कम देते हैं या देते ही नहीं हैं । उन के अन्दर भी भ्रष्टाचार है । वे भी उससे लाभ उठाते हैं । यों तो समाज में जो भ्रष्टाचार है, उस का भी जिक्र होता है लेकिन उस से भी जरूरी बात यह है कि जिस भ्रष्टाचारी को आप भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए लगाते हैं, उस में अगर भ्रष्टाचार है, उन लोगों में अगर भ्रष्टाचार है, उस को पहले दूर किया जाये । अगर उन में से सर्वप्रथम भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया जाता है, तो यह काम आग नहीं बढ़ सकता है । ये लोग ईमानदार, भले, तपस्वी और काम को समझने वाले होने चाहिये । जो इंस्पेक्टर्स रखे जायें, वे केवल एलोपैथी के ही न रख जायें बल्कि ऐसे भी रखे जायें जिन को पूरा ज्ञान आयुर्वेद का भी हो और साथ साथ यूनानी आदि का भी हो । आप की रूचि एलोपैथी में है, इस वास्ते यह जरूरी नहीं है कि केवल एलोपैथी के इंस्पेक्टर्स ही रखे जायें । इधर जो निगाह रखने वाले, जो ध्यान देने वाले अधिकारी हैं, उन में ईमानदारी होनी चाहिये ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की ओर से भी इंस्पेक्टर्स नियुक्त होने चाहियें । पहले हम उधर के निरीक्षकों से तो बच लें फिर इधर आयें । अगर साथ साथ आप इधर भी जाने लगे तो समझ लीजिये कि यह नहले पर दहले वाली बात होगी । जब तक उन में व्याप्त भ्रष्टाचार नहीं रुकता है तब तक काम आगे नहीं बढ़ सकता है ।

[श्री बाल्म की]

14 hrs.

आज हमारे देश में तीन आने और पांच आने की चर्चा है। परन्तु मैं इस चर्चा में न जा कर यह कहना चाहता हूँ कि देश के अन्दर गरीबी बहुत ज्यादा है, दरिद्रता बहुत ज्यादा है। आप को कोशिश करनी चाहिये कि लोगों को अच्छे इलाज की सुविधा प्राप्त हो सके, आसानी से उन को चिकित्सा सुविधायें सुलभ हो सकें ताकि साधारण से साधारण और मामूली से मामूली आदमी भी इन सुविधाओं से वंचित न रह सके। अगर आप यह सुविधा जनसाधारण को सुलभ करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि एलोपैथी पर ही सहारा करना काफी नहीं होगा, एलोपैथी इस समस्या को हल नहीं कर सकती है, एलोपैथी समस्या का हल नहीं है। केवल आयुर्वेद और यूनानी पद्धतियाँ, जो कि सस्ते इलाज हैं, उन पर यहाँ की स्थिति को देखते हुए और देश के वातावरण को देखते हुए विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है। आयुर्वेद और यूनानी पद्धतियाँ विशेषकर उन्नति करें लेकिन जहाँ पर मंत्रों को ध्यान देना है वहाँ पर य भी देखना चाहिये कि आज जड़ी बूटियों में भी मिलावट चल रही है। हमारी आयुर्वेदिक दवाओं में सोना, कस्तूरी, मोती और केसर का विशेष प्रकार से प्रयोग होता है। आज बाजार में नकली सोना, नकली कस्तूरी, नकली मोती, नकली केसर मिलता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप इस तरफ ध्यान देंगे, लेकिन जहाँ पर य चीजें बनती हैं वहाँ पर आप की विशेष सतर्कता होनी चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूँ कि सरकार इस काम को अपने हाथ में ले ले और एक प्रकार से इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो भी कोई बात नहीं है। बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में यहाँ कहा जाता है कि उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय, इस लिये इस काम को भी अगर आप अपने हाथ

में ले लें और जिन कारखानों में दवायें बनती हैं वहाँ पर खुद वस्तुयें बनवायें तो इससे बड़ा लाभ होगा। जो भी वस्तुयें बनती हैं, चाहे वे दवायें हों या श्रृंगार की हों, उनको बनने से पहले देखें, पाउडरों को बनने से पहले देखें कि वे सही हैं या नहीं।

आज हमारे देश के अन्दर गोल्ड कण्ट्रोल की ओर बहुत ध्यान आकर्षित किया गया है। आज जो १४ कैरट का सोना तैयार किया जाता है उसकी जरूरत दवाओं के लिये नहीं है। दवाओं के लिये तो शुद्ध सोना चाहिये, स्वच्छ सोना चाहिये। दवाओं के लिये विशुद्ध सोना उपलब्ध हो इस की ओर मैं समझता हूँ कि आप विशेषकर ध्यान देंगे। जब तक आप इस ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे तब तक सोना दवाओं के काम में नहीं आ सकता है। आयुर्वेद में ऐसे रसायन व भस्में बनती हैं जिन पर पूरी देख रेख रखना बहुत जरूरी है। चाणक्य ने कहा है कि उनके समय में एक रसायन अधिकारी हुआ करता था, वह पूरा ज्ञाता हुआ करता था रसायन का कि वह किस तरह से बनता है और बनने के बाद उसका किस प्रकार उपयोग होना चाहिये। इस प्रकार के उनके अधिकारी थे, लेकिन आप के जो निरीक्षक हैं, जो अधिकारी हैं वे केवल पदाधिकारी हैं, पद के वास्ते हैं, उन दवाओं का, उन भेषजों का, कोई ज्ञान उनको नहीं है। आपको इस प्रकार के अधिकारी रखने चाहिये जो कि अच्छी तरह से देख कर उस पर ध्यान रख सकें, तब जाकर यह काम आगे बढ़ सकता है।

आपने कानून बनाया है, आपने उसमें सजा दो साल के बजाय दस साल की कर दी है और सवाल सजा का ही नहीं है, उसकी जाय-दाद भी जन्त होगी, दूसरी सजायें भी होंगी, १० हजार, २० हजार जुर्माना भी होना चाहिये, लेकिन जो कानून आप बनाते हैं उसके कड़े से कड़े पालन का तरीका होना चाहिये।

जब तक आप कड़े से कड़े तरीके से उसका पालन नहीं करते हैं, जब तक इसके लिये आप कोई खास कदम नहीं उठाते हैं तब तक आप इस बुराई को रोक नहीं सकेंगे। इस तरः के बहुत से कारनामे हमारी नजर में आये हैं जिनमें अधिकांशियों की तरफ से गड़बड़ियाँ होती हैं। हमारे अधिकारी भी कोई दूध के घुले नहीं हैं और न हमारी पुलिस ही दूध की धुली है। वहाँ पर भी कुछ न कुछ भ्रष्टाचार का समावेश है। यह बात जरूर है कि देश के अन्दर नकली दवाओं की वजह से जीवन खतरे में पड़ रहा है नकली दवाओं का प्रयोग तभी एक सकता है जब इसके लिये आप चारों तरफ निगाह करें और विशेषकर इस बिल का प्रयोग कड़े ढंग से करें और कड़ी कार्रवाई करें।

देश के अन्दर आज सौंदर्य की ओर विशेष इच्छा लोगों में बढ़ रही है। बाह्य सौंदर्य को चमकाने के लिये बाह्य सामग्री का प्रयोग शुरू हो गया है। लेकिन चूँकि इसमें भी गलत चीजों का प्रयोग होता है और गलत वातावरण में में, डरटी इन्वायरनमेंट्स में, यह चीजें बनती हैं, इसलिये इनसे हानि भी बहुत होती है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि जहाँ पर आप ध्यान देंगे वहाँ यह बातें नहीं होंगी। बाह्य सौंदर्य को चमकाने के लिये जो प्रयत्न किया जाता है उससे भी मनुष्य की बाह्य वृत्तियाँ बिगड़ती हैं, इसलिये आप इस पर भी ध्यान दें। आज इन चीजों का गलत तरीके से प्रयोग होता है। नाखूनों पर, ओठों पर या कहीं भी इन चीजों का जो प्रयोग होता है उससे भी जो चर्म रोग होते हैं या दूसरे प्रकार के रोग पैदा होते हैं उनकी खोज आप कराएँ और उनके प्रयोग को आप रोकें। सादा जीवन, स्वाभाविक प्रवृत्ति, जो सौंदर्य ईश्वर प्रदत्त हैं, सनातन चला आ रहा है मानव में, उसका प्रयोग हो।

इस बिल में अगर केवल ड्रग्स की बात होती तो मेरी समझ में वः आ सकता था

लेकिन दूसरे श्रंगार प्रसाधन जो इसमें रखे गये हैं, उन की बात मेरी समझ में नहीं आती। हो सके तो उन को बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये और यह प्रवृत्तियाँ लोगों में नहीं होनी चाहियें। इस तरह से मैं समझता हूँ कि इस बिल का सही सही प्रयोग होगा और इसके लिये कड़े कदम उठाये जायेंगे। मैं नहीं चाहता कि इन नकली दवाई आदि के सम्बन्ध में किसी को फाँसी दी जाय या लटकाया जाय क्योंकि प्रजातन्त्र में यह सम्भव नहीं है, लेकिन आपके अधिकारी और पुलिस इस का गलत प्रयोग न करें और नकली दवाफरोशों को और बनाने वालों को रोकें।

विशेषकर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। इसमें कैमिस्टों की तरफ इशारा किया गया है कि अगर कैमिस्टों के पास नकली दवा निकली तो कैमिस्टों को सजा मिलेगी। यह तो वही बात हुई कि :

“गधा मरे कुम्हार का, धोबिन सती होय”
कैमिस्टों का इसमें कोई दोष नहीं है। वह तो दवा लाते हैं उस पर बनाने वाले का नाम मौजूद होता है, वह बन्द रहनी है, और वे लोग उसका प्रयोग करते हैं। इसलिये कैमिस्टों को इसमें खींचने की जरूरत नहीं है।

Shri Mohan Nayak (Bhanjanagar):
Mr. Deputy-Speaker, Sir, from the Statement of Objects and Reasons, it appears that the Bill has been introduced for three purposes: to have control over Unani and Ayurvedic systems of medicines, to bring the adulterated drugs within the scope of the Act and to enhance the penalty for the manufacture and sale of misbranded and spurious drugs. I appreciate the principles for which the Bill has been introduced. But the procedure to control Ayurvedic and Unani drugs seems impracticable. The Drugs Act of 1940 is meant only to control Allopathic drugs. The Council has been formed accordingly. Government

[Shri Mohan Nayak]

have various organisations such as the Drugs Controller of India, the Central Research Institute, the Central Laboratory Calcutta, the Indian Veterinary Institute at Izatnagar, the Medical Council of India, the Pharmacy Council of India; the Central Drug Research Institute, Lucknow, the various laboratories, inspectors, etc. All these are meant only for controlling Allopathic drugs. The Board meant for the control of Allopathic drugs consists of these organisations and some others. With due respect to the members of the board, I regret to say that none of them is aware of ayurvedic or Unani system of medicine. That is why the Act excludes Ayurvedic and Unani drugs from the operation of the Act. Under section 23 of the Drugs Act, the inspector has to take four portions of a drug from the manufacturer and submit one portion to the analyst for verification and then files a suit against the manufacturer with the report before the magistrate submitting the second portion along with the complaint. All these things are practicable in the case of allopathic drugs. In this Bill except the addition of 4 members to the Board, namely, adviser to Government on indigenous systems of medicine, a member of the research council of Ayurveda and two representatives of ayurved and unani systems, no other action has been taken to control Ayurved and Unani systems of medicine. In a board of 19 members, two Government officers who represent Ayurved and Unani systems and two nominated members on Ayurved and Unani systems, will have no voice at all. So, the entire fate of Ayurveda and Unani will be at the sweet discretion of the other fifteen members, of the Board who have no goodwill for Ayurveda or Unani. Therefore, in my opinion, the sections of the existing Act should not be made applicable to the drugs of Ayurveda and Unani systems.

Almost all the Ayurvedic physicians manufacture medicines by themselves. If they should come within

the jurisdiction of the Act, they will be ruined by the inspectors and the other authorities as per the Act. In this connection, I am afraid that all Ayurvedic physicians should be sent to jail and the Ayurvedic system should be abolished from the country!

The enhancement of penalty will create terror among the physicians of Ayurveda and Unani systems of medicine, and consequently they will all give up their practice. I therefore strongly oppose the control of the drugs of Ayurveda and Unani systems through the existing Act by merely adding four members to the Board. I suggest that a separate Bill to control the drugs of Ayurveda and Unani systems should be brought on the lines of the existing Drugs Act, 1940.

In this connection, I should like to quote the observations of the Udupa Committee. In that report, it has been observed as follows:

"This leads us to the necessity of enacting a Drugs Act for Indian medicines on the analogy of the Drugs Act of 1940 so that the rules and regulations for the preparation of and sale of medicine can be strictly made enforceable and the defaulters punished. The total cost of Ayurvedic medicines manufactured in the country is almost the same as the total cost of the modern medicines. There are several organisations for controlling the manufacture and sale of modern medicines. It is high time therefore that similar Boards are established for the Ayurvedic medicines also.

The possibility of enacting an Ayurvedic Drugs Act, establishing a Pharmacy Council Drugs Advisory Body, Drugs Controller, preparation of pharmacopoeia, Reference Library, etc should be

seriously considered. The earlier it is done the better for the people. Otherwise, this uncontrolled growth of Ayurvedic pharmaceutical industries will lead to gross misuse of public money."

Hence, it is desirable that the Government, before bringing the proposed Bill for controlling the Ayurvedic and Unani medicines, should separately prepare a standardised pharmacopoeia and establish Ayurvedic and Unani Councils and a Pharmacy Council and an Ayurvedic Laboratory. The cost of Ayurvedic drugs, as per the statement of the Udupa Committee's report, is almost the same as that of allopathic drugs. In addition, the cost of Unani medicines will be nearly half of the Ayurvedic drugs. So, it is desirable to control such huge quantities of Ayurvedic and Unani drugs a separate Board is established

श्री श्रींकार लाल बरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है मैं उसका समर्थन करना हूँ, लेकिन कितनी जल्दी इस बिल को आना चाहिए था उतनी जल्दी नहीं आया। हम देखते हैं कि यहाँ पर बिल और अमेंडमेंट तो बहुत से पास होते रहते हैं लेकिन वे सारे के सारे कागजों पर रह जाते हैं, उनका पालन नहीं होता। गवर्नमेंट खुद आगे होकर मिलावट करना सिखानी है, सोने के अन्दर तांबा मिलती है और घी के अन्दर दालदा, दूध में सप्रेटा मिलती है। तो मेरा कहना यह है कि आप चाहे कानून पास करवा लें लेकिन अगर उनका पालन न हो तो उनको बनाना बेकार है।

आज स्थिति यह है कि दवाओं के लिए सोना नहीं मिलता, दवाओं के लिए घी नहीं मिलता, जहाँ जाओ वहाँ मिलावट। आयुर्वेदिक और यूनानी दवा बनाने के कारखानों में बनने वाली दवाओं में मिलावट रोकने के लिए यह बिल लाए हैं। उनके ऊपर यह रोक लगा दें ठीक है। लेकिन आपको इस तरफ भी देखना चाहिए कि जो बड़ बड़ कारखाने हैं व मिलावट करते हैं और ब्लैक करते हैं,

लेकिन उनके लिए भी कुछ भी रोक नहीं है। है मैं कहता हूँ कि जो भी कानून इस हाउस द्वारा पास किया जाए, उसका कठोरता से पालन होना चाहिए। इस काम के लिए जो भी इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर रखे जाएं वे भ्रष्टाचारी नहीं होने चाहिए। देखा यह जाता है कि जो लोग लाखों रुपए का ब्लैक और मिलावट करते हैं उनको पकड़ लिया जाता है तो एक या दो हजार रुपया लेकर छोड़ दिया जाता है। ऐसा ऐल इम कानून का भी न हो मैं यह चाहता हूँ।

इसमें पहली चीज तो यह देखनी चाहिये कि जो दवा बने उसकी कितनी लिमिट है, यह सील उस पर लगा देनी चाहिए। अगर उसकी लिमिट दो साल की है, तो उसको दो साल के अन्दर काम में ले आया जाए, उस लिमिट के बाद उसको खत्म कर दिया जाए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। इंग्लैण्ड में दो साल पहले 9 लाख रुपए के इंजेक्शन ऐसे थे जो कि लिमिट से ज्यादा के हो चुके थे और उनको वहाँ के डाक्टरों ने लेने से इंकार कर दिया। हमारे हिन्दुस्तानी भाइयों को खबर मिली तो वहाँ पर जाकर एक लाख के इंजेक्शन 20 हजार में तै कर लिए। लेकिन उस बेचने वाले को उस रात को नींद नहीं आयी। उसने सोचा कि इस 20 हजार के कारण न जाने कितनी मौतें हो जाएंगी। इसलिए उसने वह मौदा कैमिल कर दिया और सवेरा होते ही उन दवाओं को समुद्र में डलवा दिया। तो उन देशों में इस प्रकार की धारणा है। यह नहीं कि अगर एक लाख का ब्लैक पकड़ा गया तो एक हजार में अपनी जब गरम कर ली और यहाँ मिनिस्टर साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि छोड़ दो तो छोड़ दिया। अगर यहाँ इस मामले में भी ऐसा हो तो इस बिल का पास करना बेकार है।

आप आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं पर प्रतिबन्ध लगा दीजिए, मैं सहमत हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एलोपैथिक दवाओं में मिना-

[श्री श्रींकार लाल बैरवा]

वट के लिए इससे भी ज्यादा कठोर दंड होना चाहिए। जैसा कि लोहिया साहब ने कहा था, इस देश में २७ करोड़ लोग तीन आने और साढ़ तीन आने रोज पर गुजर करते हैं। वे इन देशी दवाओं को ही काम में लाते हैं। वे तो नीम का पत्ता खाकर ही अपना बुझार दूर कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दो दो और चार चार रुपए का इंजेक्शन लेकर अपना बुझार ठीक करते हैं—परमात्मा करे उनको और भी चढ़ जाए—उनको ये दवाएं शुद्ध मिलनी चाहिए। आयुर्वेदिक दवाओं में मिलावट रोकने पर ध्यान दिया जाना चाहिए यह ठीक है। लेकिन हमारे कुछ कारखाने जैसे सुख संचारक कम्पनी, राजस्थान में कांटेडा, और गुरुकुल कांगड़ी के कारखाने जो दवाएं बनाते हैं वे बहुत शुद्ध बनती हैं। लेकिन गवर्नमेंट उनको बढ़ाने की ओर कोई ध्यान ही नहीं देती, बल्कि उनको तो गिराया जाता है।

आपने मिलावट पर रोक तो लगा दी लेकिन मिलावट को आप टैस्ट कैसे करोगे क्योंकि एक दवा जो बनती है वह कई दवाओं को मिला कर बनती है। मैं एक बात यह भी कह देना चाहता हूँ कि देशी दवाओं के अन्दर ज्यादा मिलावट नहीं होती है लेकिन अंग्रेजी औषधियों में बहुत मिलावट होती है। हम सुनते हैं कि पैनिंसिलीन की जगह पानी का इंजेक्शन दे दिया। एसी देशी दवाओं के अन्दर नहीं है। फिर भी उनकी मिलावट को कठोरता से रोका जाए यह ठीक है। शुद्ध दवा मिलनी चाहिए। दवा बेचने वालों को भी जांच कर लाइसेंस देने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कोई किसी आयुर्वेदिक कारखाने में में कम्पाउण्डर है और उसको लाइसेंस दे दिया। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक डाक्टर दुकान पर से घर पर रोटी खाने गया था। उसके कम्पाउण्डर ने एक आंच के मरीज की आंच में दूसरा टिंचर जो कि आंच की दवा के पास रखा था डाल दिया और मरीज की आंच खराब हो गयी।

तो ऐसे लोगों को लाइसेंस न दिया जाए। जो लोग आयुर्वेद को पूरे प्रकार से पढ़ें उनको ही लाइसेंस दिया जाए।

अब श्रंगार पर आता हूँ। आजकल हम सुनते हैं कि कोई औरत नाइलीन की साड़ी में या प्लास्टिक की चूड़ियों में आग लगने के कारण जल कर मर गयी। एने श्रंगार प्रसाधनों पर भी प्रतिबन्ध लगाना चाहिए जिनसे आए दिन मौतें होती हैं। इसमें श्रंगार प्रसाधन भी शामिल हैं इसलिए मैंने यह कह दिया। जो दवाएं बाहर से आती हैं उन पर उस देश की सीन लगा दी जाए क्योंकि यहाँ यह होता है कि यहाँ की बनी दवा जो कि चार आने की है बाहर की दवा बता कर बची जाती है और उसका एक रुपया चार आना लिया जाता है। इसलिए उन चीजों को ज्यादा चैक करना चाहिए कि वे हमारे देश की बनी हुई हैं या बाहर की बनी हुई हैं। इस जांच पड़ताल और देखभाल के लिए आप ऐसे इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर्स रखिये जोकि इस पर ठीक तरह से ध्यान दे और बाहर के देशों से हमारे देश में जो नकली और अशुद्ध दवाएं आती हैं उन पर चैक रख सकें।

यह तो आपने इस बिल में प्रोवाइड कर दिया है कि एडल्टेशन साबित होने पर, दवाएं नकली साबित होने पर अपराधियों को बजाय दो साल के अब आप दस साल तक की सजा देंगे। सजा जो आपने बढ़ाई है वह तो ठीक ही बढ़ाई है क्योंकि यह अपराध बढ़ा गम्भीर है कि मरीजों के प्राणों से इस प्रकार से खिलवाड़ किया जाय। लेकिन जैसा कि मैं ने शुरू में भी कहा इस कानून का सही और कड़ाई से पालन होना चाहिए जोकि अभी तक नहीं हो पा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूँ कि मंत्राणी महोदय हाउस में चल रही कार्यवाही को सुनने के बजाय बातें कर रही हैं जिससे प्रतीत होता है कि वे यहाँ पर जो मापण हो

रहे हैं उसको गम्भीरता से नहीं सुन रही हैं। अब जब ऐसी हालत हो कि हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही तब कानून का सही तौर से कैसे पालन हो सकेगा यह तो बहुत दूर की बात होगी।

मैं चाहूंगा कि इस कानून का ठीक तरह से पालन कराया जाय और ऐसी कड़ाई से इस पर अमल हो ताकि दवाएं बिना टेस्ट हुए बाजार में बिकने के लिए आ ही नहीं सकें। बाहर में जो दवाएं हमारे देश में आती हैं उन के बारे में ठीक से जांच पड़ताल होनी चाहिए।

बोर्ड में १८ मैम्बर्स लिये गये हैं। इस में केवल एक यूनानी का है और दो आयुर्वेदिक के हैं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक तिहाई बोर्ड के सदस्य यूनानी और आयुर्वेदिक से लिये जायें। कम से कम ६ मैम्बर्स तो उसमें लिये जायें ताकि वे इस में कोई एंटीबिटव राय अपनी दे सकें। बोर्ड में मैं देखता हूँ कि सारे आपने एलोपैथिक के अंग्रेजी डाक्टर शामिल कर लिये हैं। यह अंग्रेजी डाक्टर जाहिर है कि अंग्रेजी दवाओं को तरजीह देंगे और इस तरह से लोगों की जिदगी का नाश करना चाहेंगे। यह नहीं होना चाहिए। देशी दवाओं में आप मिलावट रोकने के लिये कानून कड़ा कर रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बाहर से जो अशुद्ध और मिलवटी दवाएं आ रही हैं, उन पर चैकिंग की जाय और ऐसी नकली दवाओं को बिल्कुल देशमें न आने दिया जाय। मिलावटी दवा को देश में बिल्कुल ही न आने दिया जाय।

इस बारे में जितनी भी सिफारिशें अब तक की गई हैं, सम्बन्धित कमेटियों ने इस बारे में जो सिफारिशें की हैं उन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है? आखिर इसका क्या कारण है? इसके अतिरिक्त आपने जो इसमें लिखा है कि आजकल देशी दवाओं वगैरह में ज्यादा मिलावट और अशुद्धता की जा रही है और इस अपराध के लिए इस बिल द्वारा आप कानून को और

अधिक कड़ा करने जा रहे हैं; मैं इसमें सहम हूँ कि इस तरह के अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाये लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि जितनी सहायियों और प्रोत्साहन आप एलोपैथिक को दे रहे हैं उतनी ही सुविधा और प्रोत्साहन देशी दवाइयों को अर्थात् यूनानी और आयुर्वेदिक को भी मिलनी चाहिए। आयुर्वेदिक और यूनानी स्नातकों को भी एलोपैथिक स्नातकों के समान सुविधाएं दी जायें और उनको भी उसी तरह से प्रोत्साहन दिया जाय। आज हम देखते हैं कि सरकार द्वारा उनकी और बिल्कुल एक उपेक्षा भाव बर्ता जा रहा है और इस कारण यूनानी और आयुर्वेदिक स्नातकों की कोई कद्र नहीं है। मुझे यह चीज देख कर बड़ा खेद व आश्चर्य होता है और मैं चाहता हूँ कि सरकार अपने इस मौजूदा रवैये को बदले। बस मैं इतना कह कर बैठ जाता हूँ।

श्री क० कृ० वर्मा (सुल्तानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्राणी महोदय ने इस माननीय सदन के सामने जो बिल प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। किसी भी राष्ट्र के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वहां का जनसमूह, वहां की जनता का स्वास्थ्य अच्छा हो तभी वह एक प्रगतिशील राष्ट्र कहा जा सकता है और प्रगति के मार्ग पर वह राष्ट्र आगे बढ़ सकता है।

मुझे आश्चर्य होता है कि सन् १९४० में जब ड्रग्स एक्ट पास हुआ तो उस समय जो हमारे देश की हालत थी वह सभी लोगों को जाहिर है और उसमें ड्रग्स को कंट्रोल करने की जो बातें रक्खी गईं, कि वह शुद्ध हों हांलाकि जो लोग अशुद्ध दवाएं बनाते थे, बेचते थे उन को क्या सजा मिलने की बात उस में रक्खी गई थी उसी से देख कर यह मालम होता है कि मानव जाति कम से कम जो हमारे देश में बसती थी, उसके स्वास्थ्य, जिदगी और उसकी मौत का कितना खयाल था? उस में ऐसे लोगों के लिए जो दवाओं के साथ में अपराध करते थे, मिलावट करते थे उन के लिए

[श्री कुं० कृ० वर्मा]

एक साल की सजा या जुर्माना जो कि ५०० रुपये तक था, करने की व्यवस्था थी, उसके देखने से जाहिर होता है कि एक तरफ तो मानव जाति के साथ में उसकी जिदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, अपाघान पहुंचाया जा रहा था और जो व्यक्ति इतना बड़ा अपराध करता था उसके लिए नाम मात्र की सजा रक्खी गई थी। लेकिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमें अपने देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी जिदगी के लिए ज्यादा चिन्ता हुई, ज्यादा लगन इस बात की पैदा हुई कि हम अपने देशवासियों के स्वास्थ्य की तरफ अधिक ध्यान दें, इस लिहाज से कुछ बीच में तरमीमें की गई और इस एक्ट में संशोधन किये गये और सन् ६२ में और वह सजा जिसे कि मैंने अभी बयान किया है, उसमें थोड़ी सी सख्ती लाई और जहां पर यह रक्खा गया कि हम सजा जो दे सकते हैं वह एक साल की या खाली जुर्माना कर सकते हैं, उसमें संशोधन करके यह अनिवार्य रख दिया गया कि कैद की सजा जरूरी है और जुर्माना उस के ऊपर हो सकता है। अब जैसे जैसे हमारी निगाह उस तरफ जा रही है हम उसमें और ज्यादा सख्ती वर्तना चाहते हैं और यह तो खैर सभी लोग मानते हैं कि अपने देश में अप्टाचार अधिक बढ़ रहा है और यह अप्टाचार जो बढ़ रहा है वह हर क्षेत्र में, हर जगह वह चीज नजर आती है और वही चीजे हमारी दवाइयों के बनाने में उनमें अशुद्ध वस्तुएं मिलाने की एक मनोवृत्ति आज फैल गयी है। मिलावट करने की प्रवृत्ति वहां भी अधिक होती जा रही है। इस लिहाज से यह जरूरी है कि हम ज्यादा सख्ती बत लेकिन जहां इस बिल में बचनेवालों और बनाने वालों के लिए सख्ती रक्खी गई है, वहां बाहर से जो दवाएं आती हैं और लोग उनको ले आते हैं, जोकि स्टैंडर्ड दवाएं नहीं समझी जाती हैं और जोकि मना की गई हैं कि हमारे देश में ऐसी दवाएं न लाई जायें,

उन के बारे में मैं यह देखता हूँ कि अभी कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। जो उस एक्ट में धाराएं थी, १३ और १४, वही हबहू इसमें कायम रक्खी गई है और उस तरफ हम कोई कदम नहीं उठा रह हैं कि उसमें भी हम थोड़ी सी सख्ती बर्तें। हम बाहर से यहां अपने देश में अशुद्ध दवाएं लाने देते हैं जोकि हानिकारक हैं और उन के लिए अगर हम सिर्फ वही पुरानी बात यानी केवल एक साल की सजा या थोड़ा सा जुर्माना कर देने की बात कायम रखते हैं तो वहां दूसरे देशों से वे अपने इस देश में वह दवाएं ले आते हैं और जाहिर है कि उस से वे हजारों, लाखों और करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाते हैं, अगर हमने उनके ऊपर इस तरह से कुछ थोड़ा सा जुर्माना कर दिया तो मैं ममझता हूँ कि यह चीज काफी नहीं साबित होने वाली है। मैं आशा करता हूँ कि ज्वागंट कमेट्री के लिए जो प्रस्ताव किया जा रहा है उस में इस बात पर ध्यान दिया जायगा कि उस और भी हम सख्त कदम उठाये ताकि लोग अशुद्ध दवाएं बाहर से हमारे देश में न ला सकें।

Mr. Deputy-Speaker: Will the hon. Member take some more time?

Shri K. K. Verma: Yes, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: Then he may continue on the next day. The House will now take up non-official business.

14.30 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL*

(Amendment of article 171) by *Shri Sezhayan*

Shri Sezhayan (Perambalur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution . . .